कार्यालय
सामान्य वनमण्डल सीहोर

☎(917562) 222767 फैक्स - 917562(223815) E-Mail :- dfot.seh@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./ 482

सीहोर, दिनांक 27/01/2020

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, आष्टा।

विषयः- मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना अंतर्गत रामपुरा जलाशय आष्टा तक पाईप लाईन विस्तार कार्य की अनुमति के संबंध में।

संदर्भः- आपका पत्र क्रमांक/1667/तक.शा./न.प./2019 दिनांक 24.01.2020 एवं ऑनलाईन प्रकरण क्र. /FP/MP/WATER/42812/2019

--00--

विषयांकित संदर्भ में लेख है कि आपके द्वारा परिक्षेत्र आष्टा में रमपुरा बॉध से आष्टा नगर तक राइट ऑफ वे तहत पाईप लाईन डालने हेतु (0.192 हेक्टयर) का वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ऑनलाइन प्रस्ताव दर्ज कर उसकी हार्डकॉपी इस कार्यालय को प्रेषित की गई हैं। उक्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया जिसमें निम्नलिखित कमियॉ/त्रुटियॉ पाई गई है:-

1. हार्डकॉपी में संलग्न ऑनलाइन भाग-1 के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर/सील नहीं है।
2. प्रस्ताव में संलग्न जियों रिफ्रेंस मेप की मूल प्रति संलग्न नहीं की गई है।
3. प्रस्ताव में संलग्न सर्वे ऑफ इडिया का मानचित्र उचित स्केल पर नही एवं मूल प्रति प्रेषित नहीं की गई है। जबकि वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार (1:50000) स्केल का मानचित्र संलग्न प्रेषित किया जाना है।
4. आपके द्वारा हार्डकॉपी की एक ही प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की गई है। अतः प्रस्ताव की पॉच मूल प्रतियॉ प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर प्रेषित की जाना है।
5. प्रस्तावित पाईप लाईन की गोलाई संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करें चूंकि भारत सरकार के निर्देशानुसार 4इंच व्यास से अधिक गोलाई की पाईप लाईन की अनुमति हेतु एन.पी.वी. की राशि जमा कराई जाना है।

अतः प्रकरण ऑनलाइन के माध्यम से आपकी ओर प्रेषित किया जा रहा है। उक्त बिन्दु की पूर्ति कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित करे।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल सीहोर

पृ.क्रमांक/मा.चि./ **सीहोर, दिनांक ....../2020**

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य मे सूचनार्थ सादर प्रेषित।

S/d

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल सीहोर

Scanned with CamScanner